कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र., प्रयागराज

पत्रांक- लेेेह-2/03/नि.स.(प्र.)/अंतरण प्रविष्टि **दिनांकः** __/06/2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग,
उ.प्र., लखनऊ

विषय- मार्च माह के मासिक लेखों के साथ संलग्न अंतरण प्रविष्टि के संबंध में।

महोदय,

मार्च के लेखों की प्राप्ति के समय कई वर्षों से निरंतर यह देखा जा रहा है कि सिंचाई विभाग के खंडों द्वारा काफी संख्या में अंतरण प्रविष्टि संलग्न कर लेखा प्रेषित किया जाता है, इस प्रक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य के माहों में खंड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लेखों की समीक्षा सावधानी से नहीं की जाती। यदि मासिक लेखों की समीक्षा मध्य के माहों में सावधानी से कर ली जाए तो संभवतः इतनी अधिक संख्या में मार्च माह में अंतरण प्रविष्टि आहरित करने की आवश्यकता न पड़े।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि प्रत्येक माह मासिक लेखों की सावधानी से जांच करने के पश्चात ही लेखा इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि बड़ी संख्या में अंतरण प्रविष्टि आहरित करने की आवश्यकता मार्च माह में ना हो।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित करें कि अंतरण प्रविष्टि प्रेषित करने के पूर्व उसकी गहनता से जांच करें तथा अंतरण प्रविष्टि में Codal provision का पूर्णतः ध्यान रखें। Codal provision के विरुद्ध कोई अंतरण प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उसको इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान में यह देखा गया है कि कई खंडों द्वारा CCL की धनराशि को DCL में या DCL की धनराशि को CCL में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है जो कि Codal provision के विरुद्ध है।

अतः उक्त के संबंध में सभी खंडों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से हो सके तथा समय की भी बचत हो।

यह पत्र उप महालेखाकार महोदया के अनुमोदनोपरांत प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

पत्रांक- ले॰ह॰-2/03/नि.स.(प्र.)/अंतरण प्रविष्टि /222/TR.No.69 **दिनांकः**28/06/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

2- समस्त अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश। ।

4- सहायक लेखा अधिकारी/कंप्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित की इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ॰प्र॰, प्रयागराज

पत्रांक- ले॰ह॰-2/03/नि.स.(प्र.)/अंतरण प्रविष्टि **दिनांकः** __/06/2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ.प्र., लखनऊ

विषय- मार्च माह के मासिक लेखों के साथ संलग्न अंतरण प्रविष्टि के संबंध में।

महोदय,

मार्च के लेखों की प्राप्ति के समय कई वर्षों से निरंतर यह देखा जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग के खंडों द्वारा काफी संख्या में अंतरण प्रविष्टि संलग्न कर लेखा प्रेषित किया जाता है, इस प्रक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य के माहों में खंड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लेखों की समीक्षा सावधानी से नहीं की जाती। यदि मासिक लेखों की समीक्षा मध्य के माहों में सावधानी से कर ली जाए तो संभवतः इतनी अधिक संख्या में मार्च माह में अंतरण प्रविष्टि आहरित करने की आवश्यकता न पड़े।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि प्रत्येक माह मासिक लेखों की सावधानी से जांच करने के पश्चात ही लेखा इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि बड़ी संख्या में अंतरण प्रविष्टि आहरित करने की आवश्यकता मार्च माह में ना हो।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित करें कि अंतरण प्रविष्टि प्रेषित करने के पूर्व उसकी गहनता से जांच करें तथा अंतरण प्रविष्टि में Codal provision का पूर्णतः ध्यान रखें। Codal provision के विरुद्ध कोई अंतरण प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उसको इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान में यह देखा गया है कि कई खंडों द्वारा CCL की धनराशि को DCL में या DCL की धनराशि को CCL में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है जो कि Codal provision के विरुद्ध है।

अतः उक्त के संबंध में सभी खंडों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से हो सके तथा समय की भी बचत हो।

यह पत्र उप महालेखाकार महोदया के अनुमोदनोपरांत प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

पत्रांक- लेःहः-2/03/नि.स.(प्र.)/अंतरण प्रविष्टि /219/TR.No.70 **दिनांकः** 28/06/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
2- समस्त अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश। ।
4- सहायक लेखा अधिकारी/कंप्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित की इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)